न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—76/2021 (2021/350) वाद पत्र

अनवान

1—डालु पिता प्रताप भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नारायणलाल पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बालु पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—भरजी पत्नि सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—भैरूलाल पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—लादु पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—सिवली पुत्री सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —

वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—22/11/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 240 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 427/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 428/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 462 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 478 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 492 रकबा 13 बिस्वा, 493 रकबा 3 बिस्वा गे.मु.आचा, आराजी संख्या 494 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 495 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 496 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 497 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 498 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 499 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 500 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 501 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित होकर खातेदार रामा, भवंर, मांगु पिता हजारी नाबाबेवि माता लेहरी, प्रताप पिता रत्ता सोहन मुतबन्ना गोकल भील सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त वर्णित कृषि आराजियात के खातेदार प्रताप पिता रत्ता [illegible] मृत्यु हो गई, जिसका नामान्तकरण खोला गया उसमें उसके जायन्दा [illegible] थे, फिर भी इनके साथ साथ आसु का नाम जोड़ दिया जिससे [illegible] रण आसु [illegible], डालु के नाम गैर कानूनी तरीके से दर्ज कर [illegible] आसु न तो प्रताप [illegible] का था न प्रथम श्रेणी का वारीस है और आसु पिता प्रताप भील नाम का व्यक्ति ग्राम आशाहोली में न तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

कभी रहा न वर्तमान में है। जिससे विरासत का नामान्तकरण संख्या 1272 दिनांक 29.05.1993 शुरू से शुन्य और कानुन के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। नवीन भू प्रबन्ध होने से वादवर्णित साबिक आराजियात के नवीन आराजी संख्या 343 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 608 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 609 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 645 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 682 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 699 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 700 रकबा 0.02 है0 गे.मु. आचा, आराजी संख्या 701 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 702 रकबा 0.07 हैक्ट, 703 रकबा 0.29 हैक्ट, 704 रकबा 0.16 हैक्ट, 705 रकबा 0.16 हैक्ट, 706 रकबा 0.12 हैक्ट, 707 रकबा 0.18 हैक्ट, 708 रकबा 0.16 हैक्ट कुल किता 15 कुल रकबा 3.76 हैक्ट भूमि कायम किये गये, जो रामा, भंवर, मांगु पिता हजारी ना.बा.व. वि. माता लेहरी, आसु सोहन, डालु पिता प्रताप, मेहताबी बेवा प्रताप, सोहन मुतबन्ना गोकल भील सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज हुई। जिसमें मृतक प्रताप की पत्नी मेहताबी की भी मृत्यु हो गई। जिससे उसकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 136 दिनांक 14.12.2004 को फैसल किया गया, वह भी सोहन और डालु के पर ही फैसल किया गया। इसके पश्चात् सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन कर दिया गया। जिससे सोहन, डालु के साथ आसु का नाम भी दर्ज करते हुए इनके हिस्से में उक्त वर्णित आराजियात में से 3218 / 699 रकबा 0.07 हैक्ट 703 रकबा 0.29 हैक्ट 3209 / 343 रकबा 0.19 हैक्ट 3214 / 645 रकबा 0.17 हैक्ट 3212 / 707 रकबा 0.09 हैक्ट कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 हैक्ट भूमि को रखते हुए अलग राजस्व खाता कायम कर लिया गया तथा सभी खातेदारों के सामलाती आराजी संख्या 700 रकबा 0.02 हैक्ट, 608 रकबा 0.37 हैक्ट 609 रकबा 0.51 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.90 हैक्ट भूमि रखी गई। इसी प्रकार उक्त वर्णित आराजियात में भी आसु पिता प्रताप का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, जो प्रताप का न तो लड़का हैं, न ही वादी डालु व वादी डालु का भाई हैं। न ही उनका कोई विरासत में स्थान ही है। न इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम आशाहोली में निवास ही करता है इसलिये इसका नाम उक्त वर्णित आराजियात से विलोपित कर उसके बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 0.81 है0 एवं शामलाती आराजियात कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि से दर्ज आसु पिता प्रताप भील का नाम विलोपित किया जाकर उसके बजाय वादीगण को उसके हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार प[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प आशाहोली में प्रस्तु[illegible] किया गया शिविर में वादीगण के द्वारा वादपत्र के समर्थन में संरपच ग्राम पंचायत आशाहोली से मृतक प्रताप पिता रत्ता भील का सजरा पेश किया गया एवं तहसीलदार रायपुर के द्वारा मृतक प्रताप पिता रत्ता भील के 2 पुत्र डालु व सोहन होना ही अकिंत करते हुए रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यो दोहराते हुए एवं सरपंच ग्राम पंचायत आशाहोली एवं तहसीलदार रायपुर के द्वारा मृतक प्रताप भील के डालु और सोहन ही वारीस होने एवं आसु पिता प्रताप नाम का कोई पुत्र नही होने की रिपोर्ट पेश जिसके आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर आसु का नाम खाते से हटवाया जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया।

प्रशासन गांवो के संग अभियान में वाद पेश होने पर मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अधिवक्ता की बहस पर मनन करने से पाया कि शिविर के दौराने मज्जेआम मृतक प्रताप पिता रत्ता भील के विधिक वारीसान की जांच की गई जिसमे डालु और सोहन के अलावा अन्य कोई वारीस नही होना रेकार्ड से पाया गया। मृतक प्रताप की विरासत में आसु का नाम गलती से दर्ज हो गया जबकि मृतक प्रताप के आसु नाम का कोई विधिक वारीस नही है जिसकी ताहिद सरंपच ग्राम पंचायत आशाहोली एवं तहसीलदार रायपुर के द्वारा की गई। उपरोक्त विवरण अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार वादीगणो के नाम के साथ आसु का नाम गलत इन्द्राज होने से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित में से 3218/699 रकबा 0.07 हैक्ट 703 रकबा 0.29 हैक्ट 3209/343 रकबा 0.19 हैक्ट 3214/645 रकबा 0.17 हैक्ट 3212/707 रकबा 0.09 हैक्ट कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 हैक्ट भूमि एवं शामलाती आराजी संख्या 700 रकबा 0.02 हैक्ट, 608 रकबा 0.37 हैक्ट 609 रकबा 0.51 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.90 हैक्ट भूमि से प्रताप की विरासत में आसु पिता प्रताप भील का नाम हटाया जाकर आसु पिता प्रताप भील के हिस्से की भूमि का डालु पिता प्रताप भील वादी संख्या 1 एवं मृतक सोहनलाल के विधिक वारीसान वादी संख्या 2 से 7 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

22.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–76/2021 (2021/350) वाद पत्र

अनवान

1–डालु पिता प्रताप भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–नारायणलाल पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–बालु पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–भरजी पत्नि सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–भैरूलाल पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–लादु पिता सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–सिवली पुत्री सोहनलाल भील निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 7, 8, 9, 15, 16, 18, 39, 40, 41 कुल किता 9 कुल रकबा 1.74 है0 भूमि में खातेदार भगवतसिंह पिता लालसिंह 1/5 के बजाय पप्पुसिंह पिता लालसिंह 1/5 राजपूत के नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है। इस आदेश के पूर्व किसी भी वित्तीय सस्थां मे कोई लेनदारी या देनदारी भगवतसिंह पुत्र लालसिंह के नाम की गई हो आज के बाद भगवत सिंह के नाम की जो भी राजकीय बकाया हो उसका भुगतान पप्पुसिंह पिता लालसिंह राजपूत द्वारा किया जायेगा उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेदार है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.13 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested